

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 28 अगस्त, 2012

संख्या: वि0स0-लैज-गवर्नमेंट बिल/1-42/2012.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 29) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2012 का विधेयक संख्यांक 29

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

2. धारा 4-क का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 4-क की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(3-क) उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट व्यक्ति, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को, प्रत्येक मास, जिसके दौरान उसके द्वारा संग्रहण किया गया था, की समाप्ति के पाँच दिन के भीतर, ट्रेज़री चालान सहित विहित रीति में विवरणी देगा।

(3-ख) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति पर्याप्त हेतुक के बिना उपधारा (3-क) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, तो आयुक्त या अधिनियम की धारा 7 के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसे पाँच हजार रुपये से अनधिक की राशि शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश दे सकेगा।

(3-ग) यदि इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी कोई व्यक्ति उस द्वारा देय कर की रकम संदत्त करने में असफल रहता है, तो वह कर की रकम के अतिरिक्त, अंतिम तारीख से

ठीक पश्चात्तर्ती तारीख से, जिसको व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त किया होता, उस द्वारा देय और संदेय कर की रकम पर, प्रतिमास एक प्रतिशत की दर से, एक मास की अवधि के लिए और तत्पश्चात् डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, साधारण ब्याज संदत्त करने का दायी होगा।” ।

3. धारा 6 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) में, “निर्धारण प्राधिकारी को ऐसी विवरणियाँ” शब्दों के पश्चात् किन्तु “ऐसे अन्तरालो पर” शब्दों से पूर्व “या तो मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिकली” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएँगे; और

(ख) उपधारा (2) में, “अधिभार की पूरी रकम” शब्दों के पश्चात् किन्तु “संदत्त करेगा” शब्दों से पूर्व “या तो मैनुअली या इलैक्ट्रॉनिकली” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएँगे ।

4. नई धारा 6—क का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा 6—क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“6—क. इलैक्ट्रॉनिक डाटा पद्धति आदि के माध्यम से अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए प्रक्रिया.—

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और जारी किए गए निदेश यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(2) जहाँ कोई सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन किसी आटोमेटिड डाटा प्रक्रिया पद्धति द्वारा तैयार किया गया है और जिसकी तामील किसी व्यौहारी या व्यक्ति पर समुचित रूप से कर दी गई है तो उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन को किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा वैयक्तिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा उक्त सूचना, संसूचना या प्रज्ञापन इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसे ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा वैयक्तिक रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है ।

(3) कोई व्यक्ति या व्यौहारी, जो इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन ऑन लाइन आवेदन करता है, तो उससे ऐसा आवेदन, अपने अंकीय चिन्हक (डिजिटल सिग्नेचर) के अधीन करना अपेक्षित होगा:

परन्तु जहाँ ऐसा आवेदन किसी अंकीय चिन्हक को लगाए बिना दायर किया गया है, तो, यथास्थिति, उक्त व्यक्ति या व्यौहारी से, ऑनलाईन आवेदन करने के सात दिन के भीतर, हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से यथा मुद्रित ऐसे इलेक्ट्रानिकली किए गए आवेदन की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी, समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी, ऐसा न करने पर इस प्रकार किया गया आवेदन, बिना किसी आगामी सूचना के नामंजूर कर दिया जाएगा ।

(4) व्यौहारी जो अपेक्षित अनुसंलग्नकों सहित विवरणी (यों) को इलैक्ट्रानिकली दायर करता है, वह उसे (उन्हें) अपने अंकीय चिन्हक लगाकर अधिप्रमाणित करेगा :

परन्तु जहाँ ऐसी विवरणी (यों) को अंकीय चिन्हक को लगाए बिना दायर किया गया है, तो उक्त व्यौहारी से, ऐसी विवरणी (यों) को दायर करने की अंतिम तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर, हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट से सम्यक् रूप से मुद्रित ऐसे इलेक्ट्रानिकली दायर की गई विवरणी (यों) की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी, समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी । यदि ऐसा व्यौहारी ऐसा करने में असफल रहता है, तो वह पाँच हजार रुपये से अनधिक राशि शास्ति के रूप में संदत्त करने के लिए दायी होगा।” ।

5. धारा 9 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

- (क) उपधारा (1) में, “पंजीयन प्रमाण पत्र विहित रीति से दस रुपये फीस देने पर किसी भी ऐसे स्वामी को दिया जाएगा, जिसने उसके लिए विहित प्राधिकारी के पास प्रार्थना पत्र दिया हो।” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “पंजीयन प्रमाण पत्र किसी भी ऐसे स्वामी को, जिसने विहित प्राधिकारी को या तो मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली एक सौ रुपये की फीस के संदाय पर, विहित रीति में आवेदन किया हो, प्रदान किया जाएगा।” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ;
- (ख) उप धारा (5) में, “विहित प्राधिकारी को उसकी” शब्दों के पश्चात् किन्तु “सूचना देगा” शब्दों से पूर्व “या तो मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; और
- (ग) उपधारा (6) में, “विहित प्राधिकारी को” शब्दों के पश्चात् किन्तु इस तथ्य की सूचना देगा” शब्दों से पूर्व “या तो मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली ” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

6. धारा 21 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 21 में, “पंजीयन स्वामी के” शब्दों के पश्चात् किन्तु “प्रार्थना पत्र देने पर” शब्दों से पूर्व “इस निमित्त या तो मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 के अधीन कर के संदाय के लिए दायी यान्त्रिक यान के प्रभारी व्यक्ति को, कर की ई—विवरणियों और ई—संदाय को दायर करने की प्रसुविधा उपलब्ध करवाने के आशय से पूर्वोक्त अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है । नए प्रस्तावित उपबन्धों के अन्तःस्थापन द्वारा यान्त्रिक यान के ऐसे प्रभारी व्यक्ति और कर संग्रहण करने वाले अभिकरणों के मध्य अन्तराणीक में भी कमी आएगी तथा इसके पश्चात् यान्त्रिक यान के ऐसे प्रभारी व्यक्ति को बैंकों और कार्यालय कॉऊटरों पर लाइन में खड़े रहने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा । इस नई प्रसुविधा के, राज्य में ऐसे करदाताओं को सौहार्दपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाने में दूरगामी प्रभाव होंगे । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मंत्री ।

शिमला:

तारीख.....2012

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे और कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

**THE HIMACHAL PRADESH PASSENGERS AND GOODS TAXATION
(SECOND AMENDMENT) BILL, 2012**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (Act No. 15 of 1955).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation (Second Amendment) Act, 2012.

2. Amendment of section 4-A.—In section 4-A of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (hereinafter referred to as the “principal Act”), after sub- section (3), the following sub- sections shall be inserted, namely:—

"(3-a) Such person as specified in sub- section (1) shall, in the prescribed manner, furnish a return every month to the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer—incharge of the District, within five days of the close of each month during which collection was made by him alongwith the treasury challan.

(3-b) If a person specified in sub- section (1), fails without sufficient cause to comply with the requirements of the provisions of sub-section (3-a), the Commissioner or any person appointed to assist him under section 7 of the Act, may, after giving such person a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees.

(3-c) If any person liable to pay tax under this Act, fails to pay the amount of tax due from him, he shall, in addition to the amount of tax, be liable to pay simple interest on the amount of tax due and payable by him at the rate of one percentum per month, from the date immediately following the last date on which the person should have paid the tax under this Act, for a period of one month, and thereafter, at the rate of one and a half percentum per month till the default continues.”.

3. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (1), after the words “Assessing Authority”, the words “either manually or electronically” shall be inserted; and
- (b) in sub-section (2), after the words “pay”, the words “either manually or electronically” shall be inserted .

4. Insertion of new section 6-A.—After section 6 of the principal Act, the following new section 6-A shall be inserted, namely:—

“6-A. Procedure to maintain records, through electronic data system etc.—

- (1) For the purpose of effective implementation of the provisions of this Act, the provisions of the Information Technology Act, 2000 and the rules made and directions issued thereunder, relating to procedure shall apply mutatis mutandis.
- (2) Where any notice, communication or intimation is prepared on any automated data processing system and is properly served on any dealer or person, the said notice, communication or intimation shall not be required to be personally signed by any officer or person and the said notice, communication or intimation shall not be deemed to be invalid on the ground that it is not personally signed by such officer or person.
- (3) Any person or dealer who makes an on-line application under any of the provisions of this Act shall be required to make such application under his digital signature:

Provided that where such application is filed without affixing digital signature, the said person or dealer, as the case may be, shall be required to submit to the appropriate authority, a duly signed hard copy of such electronically made application as printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh, within seven days of making an on-line application, failing which the application so made shall be rejected without any further notice.

- (4) The dealer who files return(s) alongwith the requisite enclosures electronically, shall authenticate the same by affixing his digital signature:

Provided that where such return(s) is filed without affixing digital signature, the said dealer shall be required to submit to the appropriate authority, duly signed hard copy of such electronically filed return(s) duly printed from the official website of the Excise and Taxation Department, Government of Himachal Pradesh, within fifteen days of the last date for filling of such return(s). If such dealer fails to do so, he shall be liable to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees.

5. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act,—

- (a) in sub-section (1), for the words “applying therefor to the prescribed authority on payment of a fee of ten rupees”, the words “ who makes an application either manually or electronically to the prescribed authority on payment of a fee of one hundred rupees” shall be substituted.;
- (b) in sub-section (5), after the words “ he shall”, the words “ either manually or electronically” shall be inserted.; and
- (c) in sub-section (6), after the words “deceased shall”, the words “ either manually or electronically” shall be inserted.

6. Amendment of section 21.—In section 21 of the principal Act, after the words “in this behalf”, the words “either manually or electronically” shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to provide the facility of filing of e- returns and e-payment of tax to the person-in-charge of the mechanical vehicle liable to pay tax under the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955, it has been decided to make suitable amendments in the Act *ibid*. With the insertion of new proposed provisions, the interface between such person-in-charge of the mechanical vehicle and tax collecting agencies will be reduced and such person-in-charge of the mechanical vehicle henceforth will not be forced to stand in queue at the Banks and office counters. The new facility will go a long way in providing such tax payers friendly environment in the State. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(Prem Kumar Dhumal)
Chief Minister

Shimla:
The2012.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—NIL—
